

टापशीट

संचालन नियम सं० इज्जत०/५३

लागू तिथि ६.८.२०१४

लालकुआँ स्टेशन पर दोनो ओर के डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट में परिवर्तन के सम्बन्ध में लालकुआँ स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/५३ दिनांक ३०.४.२०१२ की संशोधन पर्ची सं० ३ दिनांक २२.७.२०१४

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठो को बदला गया—

(क) सामान्य भाग—

१. पृष्ठ संख्या १ पैरा १ संशोधित

(ख) सिगनल परिशिष्ट

१. पृष्ठ संख्या १ पैरा १.१ संशोधित
२. पृष्ठ संख्या ८ पैरा ३.१ संशोधित
३. आर०डी० सं० १ दिनांक १७.३.२०१२ Alt'A' दिनांक २७.१२.२०१३ को आर०डी० सं० १ दिनांक १७.३.२०१२ Alt'B' दिनांक ११.७.२०१४ द्वारा बदला गया। पी०डी० सं० २ दिनांक १७.३.२०१२ Alt'A' दिनांक २७.१२.२०१३ को पी०डी० सं० २ दिनांक १७.३.२०१२ Alt'B' दिनांक ११.७.२०१४ द्वारा बदला गया।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०
इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/53

लागू करने की तिथि :25.5.2014

लालकुआ स्टेशन के ट्रैफिक समपार फाटक सं० 49 'ए' एवं 50 'स्पेशल' के संचालन पद्धति में संशोधन किए जाने के कारण लालकुआ स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/53 दिनांक 30.04.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 2 दिनांक 23.05.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

गेट परिशिष्ट

1. परिशिष्ट 'क-I' - पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4, 2.5 संशोधित
पृष्ठ सं० 9 तथा 10 का पैरा 2.7 संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-II' - पृष्ठ सं० 3 का पैरा 1.4 संशोधित
पृष्ठ सं० 6 का पैरा 2.1 संशोधित
पृष्ठ सं० 8 का पैरा 2.4 एवं 2.5 संशोधित
पृष्ठ 9 एवं 10 का पैरा 2.7 संशोधित

सिगनल परिशिष्ट

1. परिशिष्ट 'ख' - पृष्ठ सं० 12 का पैरा 5.5 संशोधित

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे० ए० आजमी)
म०परि०प्र० (सा०)/इज्जतनगर

टापशीट

लागू तिथि-11.4.2014

संख्या इज्जतनगर/53

लालकुआँ-हल्द्वानी के मध्य इंजी० समपार 44ए/ए, 46/स्पेशल, 48/स्पेशल को इन्टरलाक करने एवं यातायात समपार 43/ए/ए तथा 44/स्पेशल के गेट नं० में बदलाव के सम्बन्ध में लालकुआँ स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जतनगर/53 दिनांक 30.4.2012 की संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 03.3.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदला गया -

सामान्य भाग-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 2.2 (ii) संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.5.2 संशोधित एवं 2.5.3 (ग) जोड़कर संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 4 पैरा 2.6 संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 5 पैरा 4.1 संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 4.1.5 संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 4.3 संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 4.5 (3) संशोधित एवं पैरा 5 में (XVII) जोड़कर संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 14 एवं 15 पैरा 6(क) (ii) का (iv) एवं (xi) संशोधित
10. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.2 (घ) संशोधित
11. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 6.3 (ड़) संशोधित
12. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 6.5 एवं 6.6 (iv),(v) संशोधित
13. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 6.6 (x) एवं 6.6(i) का (घ) संशोधित
14. पृष्ठ संख्या 20 पैरा 6.9 का (घ) संशोधित
15. पृष्ठ संख्या 21 पैरा 7 में 7.1 जोड़कर संशोधित
16. पृष्ठ संख्या 23 पैरा 8.4.1 संशोधित
17. पृष्ठ संख्या 26 पैरा 3 संशोधित
18. परिशिष्ट ड संशोधित

गेट परिशिष्ट -

1. परिशिष्ट क-I पृष्ठ सं० 1 गेट संख्या 43ए/ए का गेट सं० बदलकर संशोधित
2. परिशिष्ट क-II पृष्ठ सं० 1 गेट संख्या 44/स्पेशल का गेट सं० बदलकर संशोधित
3. परिशिष्ट क-III गेट संख्या 44ए/ए पृष्ठ सं० 1 से 11 तक बदलकर संशोधित
4. परिशिष्ट क-V गेट संख्या 46/स्पेशल पृष्ठ सं० 1 से 11 तक बदलकर संशोधित
5. परिशिष्ट क-VI गेट संख्या 47/बी.1 पृष्ठ सं० 1 श्रेणी बदलकर संशोधित
6. परिशिष्ट क-VII गेट संख्या 48/स्पेशल पृष्ठ सं० 1 से 11 बदलकर संशोधित

सिगनल परिशिष्ट

1. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 1 मद संख्या 1 संशोधित
2. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 8 मद संख्या 3.1 एवं 3.2 संशोधित
3. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 11 मद संख्या 4.2.11, 4.1.12, 4.1.13 संशोधित
4. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 22, 23 मद संख्या 11 संशोधित
5. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 24 मद संख्या 2.1 संशोधित
6. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 25 मद संख्या 4 संशोधित
7. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 26 मद संख्या 4.1 एवं 6.1 संशोधित
8. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 27 मद संख्या 6.1(ड़ एवं च), 7, 8, 8.1 संशोधित
9. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 28 मद संख्या 10, 10.1, 11 संशोधित
10. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 29 मद संख्या 11 (ग से झ तक), 12.1 संशोधित
11. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 30 मद संख्या 12.1(घ से झ तक), 12.1 (ii) संशोधित
12. परिशिष्ट ख पृष्ठ सं० 31 मद संख्या 12 संशोधित
13. आर०डी० सं० 1 दिनांक 17.3.12 को आर०डी० सं० 1 दिनांक 17.3.12 Alt'A" दिनांक 27.12.2013 द्वारा बदला गया। पी०डी० सं० 2 दिनांक 17.3.12 को पी०डी० सं० 2 दिनांक 17.3.12 Alt'A" दिनांक 27.12.2013 द्वारा बदला गया

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र/सा०/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 3 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/53

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

लालकुआ जं० स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)

जारी तिथि
लागू तिथि

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I (मानक -III उपस्करों सहित) बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/53 दिनांक 6.1.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम):-

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ LKU/ SIP/ 2011/ VER-ZERO /13 Alt-“E” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 1 दिनांक 17.3.2012 Alt”B” दिनांक 11.7..2014 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :-

लालकुआ जं० स्टेशन बरेली जं० – काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 84.08 किमी०, काठगोदाम से 22.53 किमी०, रामपुर जं० से 66.63 तथा काशीपुर जं० से 58.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

हल्दी रोड (पूर्व दिशा में) : 7.63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पन्तनगर (पूर्व दिशा में) : 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हल्दवानी (पश्चिम दिशा में) : 16.09 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
गूलरभोज (पश्चिम दिशा में) : 22.13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/53

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

लालकुआ जं० स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)

जारी तिथि 30.4.2012

लागू तिथि 7.6.2012

पुनरीक्षण तिथि April- 2017

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I (मानक -III उपस्करों सहित) बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/53 दिनांक 6.1.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम):-

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ LKU/ SIP/ 2011/ VER-ZERO /13 Alt-“E” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 1 दिनांक 17.3.2012 Alt”A” दिनांक 27.12.2013 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :-

लालकुआ जं० स्टेशन बरेली जं० – काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 84.08 किमी०, काठगोदाम से 22.53 किमी०, रामपुर जं० से 66.63 तथा काशीपुर जं० से 58.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

हल्दी रोड (पूर्व दिशा में) : 7.63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पन्तनगर (पूर्व दिशा में) : 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हल्दवानी (पश्चिम दिशा में) : 16.09 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
गूलरभोज (पश्चिम दिशा में) : 22.13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/53

इज्जतनगर मण्डल

लालकुआ जं० स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 30.4.2012

लागू तिथि 7.6.2012

पुनरीक्षण तिथि June 2017

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I (मानक -III उपस्करों सहित) बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/53 दिनांक 6.1.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम):-

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ LKU/ SIP/ 2011/ VER-ZERO /13 Alt-“A” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 1 दिनांक 17.3.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलों तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :-

लालकुआ जं० स्टेशन बरेली जं० – काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 84.08 किमी०, काठगोदाम से 22.53 किमी०, रामपुर जं० से 66.63 तथा काशीपुर जं० से 58.34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

हल्दी रोड (पूर्व दिशा में) : 7.63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पन्तनगर (पूर्व दिशा में) : 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हल्दवानी (पश्चिम दिशा में) : 16.09 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
गूलरभोज (पश्चिम दिशा में) : 22.13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

(ii) **बाहरी साइडिंग :-**

हल्दवानी छोर पर लाइन सं० 12 से आगे आई०ओ०सी० साइडिंग, लाइन सं० 14 आई०ओ०सी० साइडिंग तथा 15, 16 व 17 बैलास्ट साइडिंग लाइन सं० 18 व 19 सी०सी०आई० साइडिंग एवं इकहरी ठोकर वाली साइडिंग लाइन सं० 20 है। लाइन सं० 13 व 21 सी०पी०पी० साइडिंग की दो लाइनें हैं।

(iii) **नान-ब्लाक हॉल्ट स्टेशन :-** कोई नहीं

2.3. **स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
लालकुआ-गूलरभोज	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 12 (लालकुआ)	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (गूलरभोज)
लालकुआ-हल्दी रोड	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 (लालकुआ)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दी रोड)
लालकुआ- पन्तनगर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 (लालकुआ)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (पन्तनगर)
लालकुआ- हल्दवानी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 (लालकुआ)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दवानी)

2.4 **ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

- (1) हल्दवानी साइड कॉटा संख्या 202 तक 78 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान तथा यार्ड की ओर 260.75 में 1 का ढलान है।
- (2) हल्दी रोड की ओर कॉटा संख्या 220ए से आगे 300 में 1 का अधोगामी ढलान है।
- (3) गूलरभोज की ओर होम सिगनल सं० एस 11 से यार्ड की ओर चैनेज 635 तक 340 में 1 का उर्ध्वगामी ढलान तथा चैनेज 615 से स्टेशन भवन तक 580 में 1 का अधोगामी ढलान ।
- (4) पन्तनगर की ओर कॉटा संख्या 221ए से आगे 161 में 1 का अधोगामी ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 21 लाइनो का है। लाइन संख्या 1 से 9 परिचालित लाइनें हैं तथा लाइन सं० 10 से 21 अपरिचालित लाइनें हैं।

2.5.1. **परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

रनिंग लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	600 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-2	686 मीटर	मेन लाइन ग्राउन्ड लेवल प्लेटफार्म
लाइन संख्या-3	719 मीटर	लूप लाइन ग्राउन्ड लेवल प्लेटफार्म
लाइन संख्या-4	710 मीटर	गुड्स लूप लाइन,
लाइन संख्या-5	653 मीटर	गुड्स लूप लाइन
लाइन संख्या-6	656 मीटर	गुड्स लूप लाइन

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

(ii) **बाहरी साइडिंग :-**

हल्दवानी छोर पर लाइन सं० 12 से आगे आई०ओ०सी० साइडिंग, लाइन सं० 13 एवं 14 तथा बैलास्ट साइडिंग लाइन सं० 15 इंजिन एस्केप लाइन सं० 16 और लाइन सं० 17, 18 सी०सी०आई० साइडिंग एवं इकहरी ठोकर वाली साइडिंग लाइन सं० 19 है।

(iii) **नान-ब्लाक हॉल्ट स्टेशन :-** कोई नहीं

2.3. **स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
लालकुआ-गूलरभोज	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 12 (लालकुआ)	डाउन शंटिंग लिमिट बोर्ड (गूलरभोज)
लालकुआ-हल्दी रोड	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 (लालकुआ)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दी रोड)
लालकुआ- पन्तनगर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 (लालकुआ)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (पन्तनगर)
लालकुआ- हल्दवानी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 (लालकुआ)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दवानी)

2.4 **ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

- (1) हल्दवानी साइड कॉटा संख्या 202 तक 78 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान तथा यार्ड की ओर 260.75 में 1 का ढलान है।
- (2) हल्दी रोड की ओर कॉटा संख्या 220ए से आगे 300 में 1 का अधोगामी ढलान है।
- (3) गूलरभोज की ओर होम सिगनल सं० एस 11 से यार्ड की ओर चैनेज 635 तक 340 में 1 का उर्ध्वगामी ढलान तथा चैनेज 615 से स्टेशन भवन तक 580 में 1 का अधोगामी ढलान ।
- (4) पन्तनगर की ओर कॉटा संख्या 221ए से आगे 161 में 1 का अधोगामी ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 21 लाइनो का है। लाइन संख्या 1 से 9 परिचालित लाइने है तथा लाइन सं० 10 से 21 अपरिचालित लाइने है।

2.5.1. **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

रनिंग लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	600 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-2	686 मीटर	मेन लाइन ग्राउन्ड लेवल प्लेटफार्म
लाइन संख्या-3	719 मीटर	लूप लाइन ग्राउन्ड लेवल प्लेटफार्म
लाइन संख्या-4	710 मीटर	गुड्स लूप लाइन,
लाइन संख्या-5	653 मीटर	गुड्स लूप लाइन
लाइन संख्या-6	656 मीटर	गुड्स लूप लाइन

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

लाइन संख्या-7	550 मीटर	हल्दी रोड साइड से काशीपुर के लिये मेन लाइन प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-8	537 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-9	537 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, पन्तनगर की ओर से तथा लाइन संख्या 7 गूलरभोज एवं हल्दी रोड की ओर से सीधी लाइन है। सभी परिचालित लाइन ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे तीनों ओर 5 रेल तक एवं हल्दवानी साइड 10 रेल की लम्बाई तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के बाधित (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।
- (ग) काशीपुर की ओर से आने / जाने वाली गाड़ियों को केवल लाइन सं० 7, 8 एवं 9 पर ही लिया जा सकता है। हल्दवानी की ओर से लाइन संख्या 8 तथा 9 पर/से आगमन / प्रस्थान नहीं किया जा सकता।
- (घ) अन्य अप अथवा डाउन गाड़ियाँ किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

नान-रनिंग लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं० 10	सिक वैगन साइडिंग	100 मीटर	लाइन सं० 6 से कॉटा सं० 502-502X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 11	बी० जी० क्वेरी साइडिंग	686 मीटर	लाइन सं० 6 से कॉटा सं० 501-501X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 12	कैच साइडिंग	400 मीटर
लाइन सं० 13	सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल साइडिंग	686 मीटर	लाइन सं० 4 से कॉटा सं० 214X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 14	आई०ओ०सी० साइडिंग	790 मीटर	कॉटा सं० 503-503X द्वारा प्रथक
लाइन सं० 15	बैलास्ट साइडिंग	350 मीटर	कॉटा संख्या T2 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 16	बैलास्ट साइडिंग	195 मीटर	कॉटा संख्या T3 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 17	बैलास्ट साइडिंग	195 मीटर	कॉटा संख्या T8 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 18	सी०सी०आई० साइडिंग	150 मीटर	कॉटा संख्या T6 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 19	सी०सी०आई० साइडिंग	150 मीटर	कॉटा संख्या T7द्वारा प्रथक
लाइन सं० 20	सिंगल डैडएण्ड साइडिंग	25 मीटर	कॉटा संख्या T4 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 21	सी०पी०पी० साइडिंग	750 मीटर	साइडिंग लाइन नं० 2

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :

- (क) **कैच साइडिंग** :- हल्दवानी छोर पर 400 मीटर लम्बाई की एक कैच साइडिंग प्रदत्त है यह मेन लाइन को यार्ड ये कॉटा सं० 202 द्वारा आइसोलेट करती है। हल्दवानी से आने वाली गाड़ियाँ होम सिगनल सं० एस 1 से पहले ट्रैक सर्किट संख्या A3T पर अवश्य रुकेंगी। यह हल्दवानी की ओर से लुढके वैगनों / वाहनों से स्टेशन सेक्शन को सुरक्षित करती है।
- (ख) गूलरभोज से आने वाली गाड़ियाँ डाउन होम सिगनल सं० एस 11 के पहले ट्रैक सर्किटेड भाग A13T पर अवश्य रुकेंगी।
- (ग) इल्दवानी साइड से आने वाली डाउन गाड़िया डाउन होम सिगनल से पहले A3T से पहले लगे रूकिये बोर्ड पर अवश्य रूकेंगी।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

लाइन संख्या-7	550 मीटर	हल्दी रोड साइड से काशीपुर के लिये मेन लाइन प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-8	537 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित
लाइन संख्या-9	537 मीटर	लूप लाइन हाई लेवल प्लेटफार्म सहित

- (ख) परिचालित लाइन संख्या-2, पन्तनगर की ओर से तथा लाइन संख्या 7 गूलरभोज एवं हल्दी रोड की ओर से सीधी लाइन है। सभी परिचालित लाइन ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे तीनों ओर 5 रेल तक एवं हल्दवानी साइड 10 रेल की लम्बाई तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के बाधित (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।
- (ग) काशीपुर की ओर से आने / जाने वाली गाड़ियों को केवल लाइन सं० 7, 8 एवं 9 पर ही लिया जा सकता है। हल्दवानी की ओर से लाइन संख्या 8 तथा 9 पर/से आगमन / प्रस्थान नहीं किया जा सकता।
- (घ) अन्य अप अथवा डाउन गाड़ियाँ किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

नान-रनिंग लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं० 10	सिक वैगन साइडिंग	100 मीटर	लाइन सं० 6 से कॉटा सं० 502-502X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 11	बी० जी० क्वेरी साइडिंग	686 मीटर	लाइन सं० 6 से कॉटा सं० 501-501X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 12	कैच साइडिंग	400 मीटर
लाइन सं० 13	सेंचुरी पल्प एवं पेपर मिल साइडिंग	686 मीटर	लाइन सं० 4 से कॉटा सं० 214X द्वारा सुरक्षित
लाइन सं० 14	आई०ओ०सी० साइडिंग	790 मीटर	कॉटा सं० 503-503X द्वारा प्रथक
लाइन सं० 15	बैलास्ट साइडिंग	350 मीटर	कॉटा संख्या T2 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 16	बैलास्ट साइडिंग	195 मीटर	कॉटा संख्या T3 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 17	बैलास्ट साइडिंग	195 मीटर	कॉटा संख्या T8 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 18	सी०सी०आई० साइडिंग	150 मीटर	कॉटा संख्या T6 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 19	सी०सी०आई० साइडिंग	150 मीटर	कॉटा संख्या T7 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 20	सिंगिल डैडएण्ड साइडिंग	25 मीटर	कॉटा संख्या T4 द्वारा प्रथक
लाइन सं० 21	आई०ओ०सी० साइडिंग	80 मीटर	कॉटा संख्या T5 द्वारा प्रथक

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं :

- (क) **कैच साइडिंग** :- हल्दवानी छोर पर 400 मीटर लम्बाई की एक कैच साइडिंग प्रदत्त है यह मेन लाइन को यार्ड ये कॉटा सं० 202 द्वारा आइसोलेट करती है। हल्दवानी से आने वाली गाड़ियाँ होम सिगनल सं० एस 1 से पहले ट्रैक सर्किट संख्या A3T पर अवश्य रुकेंगी। यह हल्दवानी की ओर से लुढ़के वैगनों / वाहनों से स्टेशन सेक्शन को सुरक्षित करती है।
- (ख) गूलरभोज से आने वाली गाड़ियाँ डाउन होम सिगनल सं० एस 11 के पहले ट्रैक सर्किटेड भाग A13T पर अवश्य रुकेंगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

2.6 समपार फाटक :

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
50/Spl	डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस 31 तथा कौटा सं० 215A के मध्य किमी० 64/3-4	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
49A/A	डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 43 तथा डाउन होम सिग. सं० एस 44 के मध्य किमी० 63/2-3	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
44A/A	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 68/14-15	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	हैं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
45- सी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 69/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
46/Spl	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 70/15-16	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	हैं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
47-बी-1	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 72/12-13	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
48/Spl	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 74/6-7	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	हैं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
1- बी	लालकुआ-गुलरभोज के मध्य किमी० संख्या 8/6-7	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-VII' देखें।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.6 समपार फाटक :

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
44/Spl	डाउन स्टार्टर सिग्नल सं० एस 31 तथा कौटा सं० 215A के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
43A/A	डाउन एडवॉस स्टार्टर सिग्नल सं० एस 43 तथा डाउन होम सिग्नल सं० एस 44 के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
44A-सी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 66/14-15	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
45- सी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 69/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
46- सी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 70/15-16	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
47- बी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 72/12-13	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
48- सी	लालकुआ-हल्दवानी के मध्य किमी० संख्या 74/6-7	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
1- बी	लालकुआ-गुलरभोज के मध्य किमी० संख्या 8/6-7	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-VII' देखें ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन** : अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो पन्तनगर, हल्दवानी, हल्दी रोड तथा गूलरभोज से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
1. दूरभाष युक्त इकहरी लाइन वाला नील्स का टोकन ब्लाक यन्त्र हल्दवानी तथा हल्दीरोड स्टेशन के साथ सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-
2. दूरभाष युक्त इकहरी लाइन वाला नील्स का टेबलेट ब्लाक यन्त्र गूलरभोज स्टेशन के साथ सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	
3. दूरभाष युक्त डायडो टाइप इकहरी लाइन वाला टोकनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सल काउन्टर के साथ पन्तनगर स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02(v) साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें तथा टोकनलैस ब्लाक यन्त्र के संचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा देखें।)

4. **संकेतन एवं अन्तर्पार्शन (Signalling & Interlocking) की पद्धति** :

- 4.1 **विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार** :

लालकुआ स्टेशन अन्तर्पार्शन मानक-I (मानक-III उपस्करो के साथ) बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है। सभी कॉटों एवं सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर के पैनल द्वारा किया जाता है। यहाँ सभी परिचालित लाइनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। पन्तनगर छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।)

प्रदत्त सिगनल :

- (क) **अप आगमन सिगनल (पन्तनगर से) :-**

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 44 होम सिगनल संख्या एस 44 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 44 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 44 लाइन संख्या 1 से 6 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस 44 लाइन संख्या 7 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस 44 लूप लाइन संख्या 8 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो पन्तनगर, हल्दवानी, हल्दी रोड तथा गूलरभोज से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
1. दूरभाष युक्त इकहरी लाइन वाला नील्स का टोकन ब्लाक यन्त्र हल्दवानी तथा हल्दीरोड स्टेशन के साथ सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-
2. दूरभाष युक्त इकहरी लाइन वाला नील्स का टेबलेट ब्लाक यन्त्र गूलरभोज स्टेशन के साथ सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	
3 दूरभाष युक्त डायडो टाइप इकहरी लाइन वाला टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र एकसल काउन्टर के साथ पन्तनगर स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें तथा टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र के संचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा देखें।)

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :**4.1 **विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :**

लालकुआ स्टेशन अन्तर्पाशन मानक-I (मानक-III उपस्क्रो के साथ) बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है । सभी कॉटों एवं सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर के पैनल द्वारा किया जाता है। यहाँ सभी परिचालित लाइनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

प्रदत्त सिगनल :(क) **अप आगमन सिगनल (पन्तनगर से) :-**

- अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 44 होम सिगनल संख्या एस 44 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 44 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- अप होम सिगनल संख्या एस 44 लाइन संख्या 1 से 6 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- अप होम सिगनल संख्या एस 44 लाइन संख्या 7 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- अप होम सिगनल संख्या एस 44 लूप लाइन संख्या 8 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (v) अप होम सिगनल संख्या एस 44 लूप लाइन संख्या 9 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (vi) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 36 गुड्स लाइन सं० 4, 5, 6 के लिये
- (vii) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (ix) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 3 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ख) अप आगमन सिगनल (हल्दीरोड से) :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 48 होम सिगनल संख्या एस 48 के संकेतों पर आधारित होम सिगनल संख्या एस 48 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस 48 लाइन संख्या 1 से 6 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस 48 मेन लाइन संख्या 7 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस 48 लूप लाइन संख्या 8 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (v) अप होम सिगनल संख्या एस 48 लूप लाइन संख्या 9 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (vi) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 36 गुड्स लाइन सं० 4, 5, 6 के लिये
- (vii) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (ix) अप रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 40 लाइन सं० 3 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(ग) अप प्रस्थान सिगनल (हल्दवानी को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 20 लूप लाइन संख्या 1 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 18 मेन लाइन संख्या 2 से
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 22 लूप लाइन संख्या 3 से
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 24 लूप लाइन संख्या 4 से
- (v) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 26 लूप लाइन संख्या 5 से
- (vi) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 28 लूप लाइन संख्या 6 से
- (vii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 30 लूप लाइन संख्या 7 से जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 हल्दवानी छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(घ) अप प्रस्थान सिगनल (गूलरभोज को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 30 मेन लाइन संख्या 7 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 32 लूप लाइन संख्या 8 से
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 34 लूप लाइन संख्या 9 से
- (xi) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 12 गूलरभोज छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(ङ) डाउन आगमन सिगनल (हल्दवानी से) :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 1 (Fixed)
- (ii) डाउन होम मेन सिगनल संख्या एस 1
- (iii) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 9 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं -
- (iv) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 9 गुड्स लाइन संख्या 4, 5 एवं 6 के लिये
- (v) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 5 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं -
- (vi) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 5 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (vii) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 5 लूप लाइन संख्या 3 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 5 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (ix) डाउन रूटिंग होम सिगनल संख्या एस 5 लूप लाइन संख्या 7 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(च) डाउन आगमन सिगनल (गूलरभोज से) :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए 11 (Fixed)
- डाउन होम सिगनल संख्या एस 11 के संकेत निम्नलिखित हैं -
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 11 मेन लाइन संख्या 7 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस 11 लूप लाइन संख्या 8 के लिये जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) डाउन होम सिगनल संख्या एस 11 लूप लाइन संख्या 9 के लिये जं० इंडिकेटर सहित

(छ) डाउन प्रस्थान सिगनल (हल्दी रोड को)

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 21 लूप लाइन संख्या 1 से जं० इंडिकेटर सहित
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 19 मेन लाइन संख्या 2 से जं० इंडिकेटर सहित
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 23 लूप लाइन संख्या 3 से जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 25 गुड्स लूप लाइन संख्या 4 से जं० इंडिकेटर सहित
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 27 गुड्स लूप लाइन संख्या 5 से जं० इंडिकेटर सहित
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 29 गुड्स लूप लाइन संख्या 6 से जं० इंडिकेटर सहित
- (vii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 31 मेन लाइन संख्या 7 से जं० इंडिकेटर रहित
- (viii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 33 लूप लाइन संख्या 8 से जं० इंडिकेटर रहित
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 35 लूप लाइन संख्या 9 से जं० इंडिकेटर रहित
- (x) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 47 हल्दी रोड छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ज) **डाउन प्रस्थान सिगनल (पन्तनगर को)**

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 21 लूप लाइन संख्या 1 से जं० इंडिकेटर रहित
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 19 मेन लाइन संख्या 2 से जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 23 लूप लाइन संख्या 3 से जं० इंडिकेटर रहित
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 25 गुड्स लूप लाइन संख्या 4 से जं० इंडिकेटर रहित
- (v) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 27 गुड्स लूप लाइन संख्या 5 से जं० इंडिकेटर रहित
- (vi) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 29 गुड्स लूप लाइन संख्या 6 से जं० इंडिकेटर रहित
- (vii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 31 मेन लाइन संख्या 7 से जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 33 लूप लाइन संख्या 8 से जं० इंडिकेटर सहित
- (ix) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस 35 लूप लाइन संख्या 9 से जं० इंडिकेटर सहित
- (x) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 43 पन्तनगर छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(झ) **अतिरिक्त सिगनल :-**

(i) **कालिंग आन सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी.42	अप होम सिगनल संख्या एस-44 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह पन्तनगर साइड अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस 36 / एस 40 तक तथा लाइन सं० 7, 8, एवं 9 में आने के लिये है
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी.46	अप होम सिगनल संख्या एस-48 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह हल्दी रोड साइड से अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस 36 / एस 40 तक तथा लाइन सं० 7, 8 एवं 9 में आने के लिये है
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी. 38	अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस-36/ एस 40 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह पन्तनगर साइड लाइन सं० 1 से 6 तक में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी. 3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह हल्दवानी साइड से डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस 9 / एस 5 तक में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी. 7	डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस-9 / एस 5 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह हल्दवानी साइड लाइन सं० 1 से 7 तक में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी. 13	डाउन होम सिगनल सं० एस-11 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह गूलरभोज साइड से लाइन सं० 7, 8, 9 में आने के लिये है

(ii) **शन्ट सिगनल :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 55	डाउन रूटिंग होम सिगनल सं० एस 9 / एस 5 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है	हल्दवानी छोर से लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में शंटिंग के लिये आने के लिये

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

एस एच 70	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 20	लाइन सं० 1 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 68	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 18	लाइन सं० 2 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 72	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 22	लाइन सं० 3 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये शंटिंग के लिये
एस एच 74	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 24	लाइन सं० 4 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 76	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 26	लाइन सं० 5 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 78	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 28	लाइन सं० 6 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 80	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 30	लाइन सं० 7 से हल्दवानी छोर पर आईओसी साइडिंग में शंटिंग के लिये
एस एच 80	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 30	लाइन सं० 7 से गूलरभोज छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 12 तक शंटिंग के लिये
एस एच 82	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 32	लाइन सं० 8 से गूलरभोज छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 12 तक शंटिंग के लिये
एस एच 84	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 34	लाइन सं० 9 से गूलरभोज छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 12 तक शंटिंग के लिये
एस एच 71	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 21	लाइन सं० 1 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 69	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 19	लाइन सं० 2 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 73	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 23	लाइन सं० 3 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 75	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 25	लाइन सं० 4 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये या सी०पी०पी० साइडिंग में जाने के लिये
एस एच 77	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 27	लाइन सं० 5 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये या सी०पी०पी० साइडिंग में जाने के लिये

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

एस एच 79	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 29	लाइन सं० 6 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये या सी०पी०पी० साइडिंग में जाने के लिये
एस एच 81	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 31	लाइन सं० 7 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 83	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 33	लाइन सं० 8 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 85	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 35	लाइन सं० 9 से हल्दीरोड छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 47 या पन्तनगर छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 43 तक शंटिंग के लिये
एस एच 90	अप रूटिंग होम सिगनल सं० एस 36/एस 40 के नीचे उसी खम्भे पर	पन्तनगर छोर पर लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, में शंटिंग के लिये आने हेतु

(iii) **अनाश्रित शन्ट सिगनल :-**

शन्ट सिगनल सं०	विवरण
एस एच 89	आई० ओ०सी० साइडिंग से लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 7 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 91	गूलरभोज छोर से लाइन सं० 7, 8, या 9 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 96	सी०पी०पी० साइडिंग से लाइन सं० 4, 5, या 6 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 92	पन्तनगर छोर से शन्ट सिगनल सं० एस 90 तक तथा लाइन सं० 7, 8, 9 में आने हेतु
एस एच 94	हल्दीरोड छोर से शन्ट सिगनल सं० एस 90 तक तथा लाइन सं० 7, 8, 9 में आने हेतु

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से रूट सैटिंग टाइप डोमिनो पैनल के माध्यम से प्रचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु स्विच प्रदत्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।

(ग) पन्तनगर, हल्दी रोड एवं गूलरभोज साइड के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पँक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पँक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रूट इंगित करेगीं।

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' दशा से नियन्त्रित है। पन्तनगर की ओर के अग्रिम प्रस्थान सिगनल की आफ स्थिति इस ओर जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार है। इसके विफल होने पर पेपर लाइन क्लीयर प्रणाली लागू की जायेगी।

(छ) स्टेशन मास्टर पैनल की बनावट, पैनल पर प्रदत्त बटन तथा पैनल के संचालन और पैनल पर प्रदर्शित सभी इंडिकेशन का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 4 में देखें।

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द कॉटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) : कांटा सं० 503, 501, 502 स्थायी रूप से बन्द कांटे हैं।

इस स्टेशन पर प्रदत्त स्थायी रूप से ताला बन्द कांटे / साइडिंग कांटों का विवरण तथा उनके संचालन की विधि परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.8 में देखें।

ट्रेप कांटा :- कांटा संख्या 502X, 501X, 503X, 214X, ट्रेप कांटें हैं। इन पर ट्रेप इन्डिकेटर प्रदत्त है।

4.1.6. विद्युत चालित कांटा मशीन / क्रैन्क हैण्डल :

(क) कांटा संख्या- 202, 203-203A, 204-204X, 205-205X, 206-206X, 207, 208-208X, 209, 210, 211, 212, 213, 214X, 215-215A, 216-216X, 217-217X, 218, 219A-219B, 220A-220B, 221A-221B मोटर चालित कांटें हैं तथा प्रत्येक कांटें पर विद्युत कांटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कांटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है।

इस दशा में कांटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं इनको फेसिंग तथा ट्रेलिंग दोनों स्थिति में पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैन्क हैण्डल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित कांटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० संख्या	क्रैन्क हैण्डल संख्या	क्रैन्क हैण्डल द्वारा प्रचालित कांटों की संख्या
1	सी एच - 2	202
2	सी एच - 3	203A-203B
3	सी एच - 4	204-204X, 205-205X, 206-206X
4	सी एच - 5	207
5	सी एच - 6	208-208X, 209
6	सी एच - 7	210, 211
7	सी एच - 8	212, 213, 214X
8	सी एच - 9	215A-215B
9	सी एच - 10	216-216X, 217-217X,
10	सी एच - 11	218, 219A-219B
11	सी एच - 12	220A-220B, 221A-221B

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' दशा से नियन्त्रित है। पन्तनगर की ओर के अग्रिम प्रस्थान सिगनल की आफ स्थिति इस ओर जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार है। इसके विफल होने पर पेपर लाइन क्लीयर प्रणाली लागू की जायेगी।
- (छ) स्टेशन मास्टर पैनल की बनावट, पैनल पर प्रदत्त बटन तथा पैनल के संचालन और पैनल पर प्रदर्शित सभी इंडिकेशन का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 4 में देखें।

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द कॉटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

इस स्टेशन पर प्रदत्त स्थायी रूप से ताला बन्द कॉटे / साइडिंग कॉटों का विवरण तथा उनके संचालन की विधि परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.8 में देखें।

ट्रेप कॉटा :- कॉटा संख्या 502X, 501X, 503X, 214X, ट्रेप कॉटें हैं।

4.1.6 विद्युत चालित कॉटा मशीन / क्रैन्क हैण्डिल :

- (क) कॉटा संख्या- 202, 203-203A, 204-204X, 205-205X, 206-206X, 207, 208-208X, 209, 210, 211, 212, 213, 214X, 215-215A, 216-216X, 217-217X, 218, 219A-219B, 220A-220B, 221A-221B मोटर चालित कॉटें हैं तथा प्रत्येक कॉटें पर विद्युत कॉटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इनकी सही सेटिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है।

इस दशा में कॉटों का ठीक ढंग से सेट करना एवं इनको फेसिंग तथा ट्रेलिंग दोनों स्थिति में पाशित करना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। क्रैन्क हैण्डिल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39 (ii) देखें।

क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० संख्या	क्रैन्क हैण्डिल संख्या	क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित कॉटों की संख्या
1	सी एच - 2	202
2	सी एच - 3	203A-203B
3	सी एच - 4	204-204X, 205-205X, 206-206X
4	सी एच - 5	207
5	सी एच - 6	208-208X, 209
6	सी एच - 7	210, 211
7	सी एच - 8	212, 213, 214X
8	सी एच - 9	215A-215B
9	सी एच - 10	216-216X, 217-217X,
10	सी एच - 11	218, 219A-219B
11	सी एच - 12	220A-220B, 221A-221B

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए

क्रम संख्या	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलताध परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दति :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस0एण्ड टी0) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस0एण्ड टी0 कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर आई0पी0एस0 की व्यवस्था की गयी है। इनकी बैट्री चार्जिंग हेतु दो डीजल जनरेटर सेट उपलब्ध है।

(आई0पी0एस0 की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' देखें)

4.4 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान है जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपातकालीन रूट कौन्सिलेशन वीडर काउन्टर (EUYN)
2. आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट वीडर काउन्टर (EGGN)
3. कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर
4. आपात कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
5. आपात कालीन पाइन्ट आपरेशन वीडर काउन्टर (EWN)
6. क्रैंक हैण्डिल रिलीज वीडर काउन्टर अलग-अलग
7. लालकुआ-पन्तनगर टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर
8. लालकुआ-पन्तनगर एक्सल काउन्टर री-सैट वीडर काउन्टर

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिए

क्रम संख या	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल निकालने का उद्देश्य विफलताध परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दति :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस0एण्ड टी0) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस0एण्ड टी0 कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर आई0पी0एस0 की व्यवस्था की गयी है।

(आई0पी0एस0 की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' देखें)

4.4 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट कैंसिलेशन वीडर काउन्टर (EUYN)
2. आपात्कालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट वीडर काउन्टर (EGGN)
3. कालिंग आन सिगनल के लिये वीडर काउन्टर
4. आपात कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
5. आपात कालीन पाइन्ट आपरेशन वीडर काउन्टर (EWN)
6. क्रैंक हैण्डिल रिलीज वीडर काउन्टर अलग-अलग
7. लालकुआ-पन्तनगर टोकेनलैस ब्लॉक यन्त्र वीडर काउन्टर
8. लालकुआ-पन्तनगर एक्सल काउन्टर री-सैट वीडर काउन्टर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्यी सं० 1सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है, तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार जब क्वैक हैण्डिल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को उपरोक्त पैरा 4.1.6 (ख) में दिये गये प्रारूप में इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका के कालम संख्या 6 में तथा वीडर काउन्टर पंजिका में सम्बन्धित काउन्टर के लिये ऑवटित पृष्ठ पर इसकी प्रविष्टि कारण सहित अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के चार्ज सौंपते / ग्रहण करते समय वीडर काउन्टरों की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियाँ समान / अद्यतन लिखना सुनिश्चित की जाय।

4.5 कैंच साइडिंग:-

हल्दवानी छोर पर कैंच साइडिंग प्रदत्त की गयी है। यह हल्दवानी की ओर से नीचे लुढके वैगनों से स्टेशन सैक्शन को सुरक्षित करती है। कॉटा सं० 202 की नार्मल स्थिति कैंच साइडिंग के लिये सैट है। (परिशिष्ट 'ख' के पैरा 18 में दिये गये निर्देशों का पालन करे। कैंच साइडिंग कॉटे को चलाने पहले निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें

- (1) लाइन क्लीयर देने के पश्चात् नान-आइसोलेटेड लाइनों पर शंटिंग बन्द कर दी जानी चाहिये।
- (2) कॉटा कैंच साइडिंग के लिये ही सैट एवं लाक रहेगा जब तक कि गाडी होम सिगनल के पहले ट्रैक सर्किट ए 3 टी पर आकर रुक न गयी हो । होम सिगनल 'आफ' करने के पहले कैंच साइडिंग कॉटा को वॉछित मार्ग के लिये पैनल से सैट एवं लाक किया जायेगा।
- (3) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पूर्ण गाडी का आगमन यार्ड में हो गया है तथा गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र T-1410 पर प्राप्त हो गया है, के बाद ही हल्दवानी एवं काशीपुर साइड के ब्लाक यन्त्र को नार्मल करेगा ।

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्नलिखित के साथ टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- (i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन
- (ii) हल्दी रोड स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iii) हल्दवानी स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iv) पन्तनगर स्टेशन के टोकनलैस यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (v) गूलरभोज स्टेशन के टैबलेट यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (vi) इंजी० गेट सं० 1/बी (लालकुआँ-गूलरभोज) के साथ टेलीफोन
- (vii) ट्रैफिक गेट सं० 49A/A (लालकुआँ-पन्तनगर) के साथ टेलीफोन
- (viii) ट्रैफिक गेट सं० 50/स्पेशल के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (ix) इंजी० गेट सं० 44A/A (लालकुआँ-हल्दवानी) के साथ टेलीफोन
- (x) इंजी० गेट सं० 45/सी (लालकुआँ-हल्दवानी) के साथ टेलीफोन
- (xi) इंजी० गेट सं० 46/स्पेशल (लालकुआँ-हल्दवानी) के साथ टेलीफोन
- (xii) इंजी० गेट सं० 47/बी.1 (लालकुआँ-हल्दवानी) के साथ टेलीफोन
- (xiii) इंजी० गेट सं० 48/स्पेशल (लालकुआँ-हल्दवानी) के साथ टेलीफोन
- (xiv) आई०ओ०सी० लोकेशन के साथ टेलीफोन
- (xv) बी० एस० एन० एल० फोन
- (xvi) वी० एच० एफ० सैट
- (xvii) रेलवे आटो टेलीफोन

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 12 में दिये गये नियमानुसार कार्यवाही की जाय)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है, तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार जब क्वैक हैण्डिल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को उपरोक्त पैरा 4.1.6 (ख) में दिये गये प्रारूप में इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका के कालम संख्या 6 में तथा वीडर काउन्टर पंजिका में सम्बन्धित काउन्टर के लिये ऑवटित पृष्ठ पर इसकी प्रविष्टि कारण सहित अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के चार्ज सौंपते / ग्रहण करते समय वीडर काउन्टरों की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियाँ समान / अद्यतन लिखना सुनिश्चित की जाय।

4.5 कैंच साइडिंग:-

हल्दवानी छोर पर कैंच साइडिंग प्रदत्त की गयी है। यह हल्दवानी की ओर से नीचे लुढके वैगनों से स्टेशन सैक्शन को सुरक्षित करती है। कॉटा सं० 202 की नार्मल स्थिति कैंच साइडिंग के लिये सैट है। (परिशिष्ट 'ख' के पैरा 18 में दिये गये निर्देशों का पालन करे। कैंच साइडिंग कॉटे को चलाने पहले निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें

- (1) लाइन क्लीयर देने के पश्चात् नान-आइसोलेटेड लाइनों पर शंटिंग बन्द कर दी जानी चाहिये।
- (2) कॉटा कैंच साइडिंग के लिये ही सैट एवं लाक रहेगा जब तक कि गाडी होम सिगनल के पहले ट्रैक सर्किट ए 3 टी पर आकर रुक न गयी हो । होम सिगनल 'आफ' करने के पहले कैंच साइडिंग कॉटा को वॉछित मार्ग के लिये पैनल से सैट एवं लाक किया जायेगा।
- (3) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पूर्ण गाडी का आगमन यार्ड में हो गया है तथा गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र T-1410 पर प्राप्त हो गया है, के बाद ही हल्दवानी साइड के ब्लाक यन्त्र को नार्मल करेगा ।

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्नलिखित के साथ टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- (i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन
- (ii) हल्दी रोड स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iii) हल्दवानी स्टेशन के टोकन यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (iv) पन्तनगर स्टेशन के टोकनलैस यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (v) गूलरभोज स्टेशन के टैबलेट यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- (vi) इंजी० गेट सं० 1/बी (लालकुआ-गूलरभोज) किमी० 8/9-7 के साथ टेलीफोन
- (vii) ट्रैफिक गेट सं० 43A/A (लालकुआ-पन्तनगर) किमी० 63/3-4 के साथ टेलीफोन
- (viii) ट्रैफिक गेट सं० 44/स्पेशल के साथ मैगनेटो टेलीफोन
- (ix) इंजी० गेट सं० 44A/सी (लालकुआ-हल्दवानी) किमी० 68/14-15 के साथ टेलीफोन
- (x) इंजी० गेट सं० 45/सी (लालकुआ-हल्दवानी) किमी० 69/7-8 के साथ टेलीफोन
- (xi) इंजी० गेट सं० 46/सी (लालकुआ-हल्दवानी) किमी० 70/15-16 के साथ टेलीफोन
- (xii) इंजी० गेट सं० 47/बी (लालकुआ-हल्दवानी) किमी० 72/12-13 के साथ टेलीफोन
- (xiii) इंजी० गेट सं० 48/सी (लालकुआ-हल्दवानी) किमी० 74/6-7 के साथ टेलीफोन
- (xiv) आई०ओ०सी० लोकेशन के साथ टेलीफोन
- (xv) बी० एस० एन० एल० फोन
- (xvi) वी० एच० एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 12 में दिये गये नियमानुसार कार्यवाही की जाय)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्यी सं० 2 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

6. **गाडी संचालन की प्रणाली**

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

6.(क) **गाडियों का आगमन :-**

(1) **पर्याप्त दूरी :-**

सामान्य नियम 3.40 (1) के अनुसार होम सिगनल आफ करने के लिये पर्याप्त दूरी साधारणतया गाड़ी के रुकने के स्थान से मापी गयी है

(i) **डाउन गाडियों के लिये -**

लाइन संख्या 4, 5, 6, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 25, एस 27, एस 29, एस 33, व एस 35 से

(ii) **अप गाडियों के लिये -**

लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 18, एस 20, एस 22, एस 24, एस 26, एस 28, एस 30, एस 32 व एस 34 से

जिस गाडी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है, उस गाड़ी के आगमन के लिये डि्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (i) जॉर्चें कि वॉछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक सर्किट आक्व्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ii) पैनल पर देख कर सुनिश्चित करें कि वॉछित लाइन जिस पर आगमन होना है, वह लाइन साफ एवं बाधा रहित है।
- (iii) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमाएं।
- (iv) सुनिश्चित करें कि **पन्तनगर** की ओर से अप गाड़ी आगमन हेतु गेट संख्या 49A/A एवं 50/Sp1 तथा हल्दी रोड की ओर से अप गाड़ी आगमन हेतु गेट संख्या 50/Sp1 तथा हल्द्वानी एवं गूलरभोज की ओर से आगमन के लिए समपार सं० 50/Sp1 को बन्द कर दिया गया है तथा इनके गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा।
- (v) आने वाली गाडी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (vi) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटें स्वतः सैट हो जायेगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (vii) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियों जल जायेगी।
- (viii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि पाइन्ट के निकट लघु सफेद बलित्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आफ आस्पैक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है। जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (ix) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल को पार करती है तो आगमन सिगनल आन स्थिति में हो गये है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्यी सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

6. **गाडी संचालन की प्रणाली**

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

6.(क) **गाडियों का आगमन :-**

(1) **पर्याप्त दूरी :-**

सामान्य नियम 3.40 (1) के अनुसार होम सिगनल आफ करने के लिये पर्याप्त दूरी साधारणतया गाड़ी के रुकने के स्थान से मापी गयी है

(i) **डाउन गाडियों के लिये -**

लाइन संख्या 4, 5, 6, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 25, एस 27, एस 29, एस 33, व एस 35 से

(ii) **अप गाडियों के लिये -**

लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 18, एस 20, एस 22, एस 24, एस 26, एस 28, एस 30, एस 32 व एस 34 से

जिस गाडी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है, उस गाडी के आगमन के लिये डि्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (i) जॉर्चें कि वॉछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक सर्किट आक्व्यूपैन्सी बलित्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ii) पैनल पर देख कर सुनिश्चित करें कि वॉछित लाइन जिस पर आगमन होना है, वह लाइन साफ एवं बाधा रहित है।
- (iii) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमाएं।
- (iv) सुनिश्चित करें कि **पन्तनगर** की ओर से अप गाडी आगमन हेतु गेट संख्या 49A/A एवं 50/Sp1 तथा हल्दी रोड की ओर से अप गाडी आगमन हेतु गेट संख्या 50/Sp1 तथा हल्द्वानी एवं गूलरभोज की ओर से आगमन के लिए समपार सं० 50/Sp1 को बन्द कर दिया गया है तथा इनके गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा।
- (v) आने वाली गाडी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (vi) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटें स्वतः सैट हो जायेगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (vii) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलित्तियों जल जायेगी।
- (viii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि पाइन्ट के निकट लघु सफेद बलित्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आफ आस्पैक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है। जो गाडी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (ix) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाडी होम सिगनल को पार करती है तो आगमन सिगनल आन स्थिति में हो गये है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03 (2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

6.(क) गाड़ियों का आगमन :-(1) पर्याप्त दूरी :-

सामान्य नियम 3.40 (1) के अनुसार होम सिगनल आफ करने के लिये पर्याप्त दूरी साधारणतया गाड़ी के रूकने के स्थान से मापी गयी है

(i) डाउन गाड़ियों के लिये -

लाइन संख्या 4, 5, 6, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 25, एस 27, एस 29, एस 33, व एस 35 तक

(ii) अप गाड़ियों के लिये -

लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 पर आगमन हेतु क्रमशः अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 18, एस 20, एस 22, एस 24, एस 26, एस 28, एस 30, एस 32 व एस 34 तक

जिस गाड़ी का लाइन क्लीयर दिया जा चुका है, उस गाड़ी के आगमन के लिये डि्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (i) जाँचें कि वॉछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक सर्किट आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ii) पैनल पर देख कर सुनिश्चित करें कि वॉछित लाइन जिस पर आगमन होना है, वह लाइन साफ एवं बाधा रहित है।
- (iii) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमाएं।
- (iv) सुनिश्चित करें कि **पन्तनगर** की ओर से अप गाड़ी आगमन हेतु गेट संख्या 49A/A एवं 50/Spl तथा हल्दी रोड की ओर से अप गाड़ी आगमन हेतु गेट संख्या 50/Spl को बन्द कर दिया गया है तथा इनके गेट नियन्त्रण बटन क्रमशः 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर प्रकट हो जायेगा।
- (v) आने वाली गाड़ी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (vi) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायेगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (vii) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (viii) स्टेशन पैनल पर देख लें कि पाइन्ट के निकट लघु सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आफ आस्पैक्ट भी स्टेशन पैनल पर आ गया है। जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (ix) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल को पार करती है तो आगमन सिगनल आन स्थिति में हो गये है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

- (x) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे ही ट्रैक सर्किटों पर आती है, टैक सर्किट की सफेद बत्तियाँ बुझ जाती हैं तथा लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किट को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ जल जाती हैं।
- (xi) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कॉटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आना सुनिश्चित करने के बाद कॉटों को निर्धारित समयांतराल के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। यदि गाड़ी क्रासिंग में रूकी है तो दोनों ओर के कॉटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें तथा सभी संचालन पूर्ण हो जाने पर सभी कॉटों को नार्मल स्थिति में करें तत्पश्चात पैनल कंट्रोल चाबी पैनल से निकालकर व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें।
(एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' में दी गयी विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सैट करने के लिये सा० एवं सहायक नियम 5.19 देखें)

टिप्पणी :-

- (i) अप गाड़ियों को अनावश्यक रूप से होम सिगनल के बाहर नहीं रोका जायेगा।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि **हल्दवानी** से आने वाली गाड़ी होम सिगनल के पहले स्थित ट्रैक सर्किट 'ए-3 T' पर आकर रूक गयी है, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में एक घन्टी बजेगी (ऑडिबुल इंडिकेशन) यह घन्टी तभी बजना बन्द होगी जब चाबी 'एक्स' **हल्दवानी** छोर के टोकेन यन्त्र की टी०सी०एफ० स्थिति से निकाल कर इलैक्ट्रिक लीवर लाक में लगाकर धुमा दी जाये तथा कॉटा संख्या 202 रिवर्स स्थिति में कर दिया जाये। ऐसा करने के बाद यह घंटी बजना बन्द हो जायेगी।
कांटा सं० 202 पर से गाड़ी गुजर जाने तथा ट्रैक सर्किट 202 टी साफ हो जाने पर स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक बजर बजने लगेगा जो कि यह सूचित करता है कि कांटा 202 को नार्मल किया जा सकता है इस कांटे को नार्मल कर देने पर बजर बजना बन्द हो जायेगा। परिशिष्ट 'ख' पैरा 10.2 देखें।
- (iii) यह सुनिश्चित करे कि **गूलरभोज** से आने वाली डाउन गाड़ी होम सिगनल के पहले स्थित ट्रैक सर्किट 'ए-13T' पर आकर रूक गयी है। गाड़ी का इस ट्रैक पर आकर रूक जाना पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किट 13 टी के आक्यूपाइड इंडिकेशन (लाल) से सुनिश्चित करे। गाड़ी के रूक जाने के 120 सेकेण्ड बाद ही होम सिगनल आफ होगा।

6.1 **गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-**

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, काँटा वाला, एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-**

दिन की पाली :

स्टेशन अधीक्षक	.	01	पर्यवेक्षकीय
सहायक स्टेशन मास्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शॉटिंग मास्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	.	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	.	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (x) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाडी जैसे ही ट्रैक सर्किटों पर आती है, टैंक सर्किट की सफेद बत्तियाँ बुझ जाती है तथा लाल बत्तियाँ जल जाती है और जैसे-जैसे गाडी ट्रैक सर्किट को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती है और सफेद बत्तियाँ जल जाती है।
- (xi) गाडी का पूर्ण आगमन व कॉटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आना सुनिश्चित करने के बाद कॉटों को एक मिनट के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। यदि गाडी कासिंग में रूकी है तो दोनों ओर के कॉटें अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें तथा सभी संचलन पूर्ण हो जाने पर सभी कॉटों को नार्मल स्थिति में करें तत्पश्चात पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकालकर व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखें। (एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' में दी गयी विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सैट करने के लिये सा० एवं सहायक नियम 5.19 देखें)

टिप्पणी :-

- (i) अप गाडियों को अनावश्यक रूप से होम सिगनल के बाहर नहीं रोका जायेगा।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि **हल्दवानी** से आने वाली गाडी होम सिगनल के पहले स्थित ट्रैक सर्किट 'ए-3 T' पर आकर रूक गयी है, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में एक घन्टी बजेगी (ऑडिबुल इंडिकेशन) यह घन्टी तभी बजना बन्द होगी जब चाबी 'एक्स' **हल्दवानी** छोर के टोकेन यन्त्र की टी०सी०एफ० स्थिति से निकाल कर इलैक्ट्रिक लीवर लाक में लगाकर धुमा दी जाये तथा कॉटा संख्या 202 रिवर्स स्थिति में कर दिया जाये। ऐसा करने के बाद यह धंटी बजना बन्द हो जायेगी। कांटा सं० 202 पर से गाडी गुजर जाने तथा ट्रैक सर्किट 202 टी साफ हो जाने पर स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक बजर बजने लगेगा जो कि यह सूचित करता है कि कांटा 202 को नार्मल किया जा सकता है इस कांटे को नार्मल कर देने पर बजर बजना बन्द हो जायेगा। परिशिष्ट 'ख' पैरा 10.2 देखे।
- (iii) यह सुनिश्चित करे कि **गूलरभोज** से आने वाली डाउन गाडी होम सिगनल के पहले स्थित ट्रैक सर्किट 'ए-13T' पर आकर रूक गयी है। गाडी का इस ट्रैक पर आकर रूक जाना पैनल पर प्रदत्त ट्रैक सर्किट 13 टी के आक्यूपाइड इंडिकेशन (लाल) से सुनिश्चित करे। गाडी के रूक जाने के 120 सेकेण्ड बाद ही होम सिगनल आफ होगा।

6.1 गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, कॉटा वाला, एवं फाटकवाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाडी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन अधीक्षक	.	01	पर्यवेक्षकीय
सहायक स्टेशन मास्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शॉटिंग मास्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	.	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	.	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	.	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

रात्रि पाली/सौंध्य पाली

सहायक स्टेशन मास्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शॉटिंग मास्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला -	04	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(i), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे। (विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) वॉछित लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) गूलरभोज से आने वाली डाउन गाड़ी के लिये गेट सं० 1/बी तथा हल्दवानी से आने वाली डाउन गाड़ी के लिये गेट संख्या 44A/A, 45/सी 46/स्पेशल, 47/बी.1, 48/स्पेशल, पर कार्यरत गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

विचलन :- सामान्य नियम 3.40 (1)(b) & (2)(b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन के लिये पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी रूकने के स्थान तक तथा रूकने के स्थान से मापी गयी है।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा कासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

रात्रि पाली/सौध्य पाली

सहायक स्टेशन मास्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला -	04	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर -	02	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(i), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे। (विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) वॉछित लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) गूलरभोज से आने वाली डाउन गाड़ी के लिये गेट सं० 1/बी तथा हल्दवानी से आने वाली डाउन गाड़ी के लिये गेट संख्या 44A/सी, 45/सी, 46/सी, 47/बी, 48/सी, पर कार्यरत गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-

विचलन :- सामान्य नियम 3.40 (1)(b) & (2)(b) के अनुसार गाड़ियों के आगमन के लिये पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी रूकने के स्थान तक तथा रूकने के स्थान से मापी गयी है।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा कासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्त:-

- (क) जिस लाइन पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख एवं अनुमुख कॉटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित हों तथा पैनल पर सेट एवं लाकड का इंडिकेशन उपलब्ध हो।
- (ग) जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है, वह अप गाड़ियों के लिए प्रस्थान सिगनल से 120 मीटर तक तथा डाउन गाड़ियों के प्रस्थान सिगनल तक साफ हो। अप गाड़ी लाइन सं० 4,5,6 पर तथा डाउन गाड़ी काशीपुर छोर से लाइन सं० 8 या 9 में लेने के लिये डैड एण्ड तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।
- (ङ) पन्तनगर से गाड़ी आगमन के लिये आगमन सिगनल आफ करने से पहले गेट सं० 49A/A एव 50/Spl तथा हल्दी रोड से गाड़ी आगमन के लिये सिगनल आफ करने से पहले गेट संख्या 50/Spl सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित हो।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना:-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति निम्न प्रकार है :-
- (ख) अप गाड़ी हल्दीरोड से लाइन नं० 7 अथवा 8 अथवा 9 पर आगमन
और
अप गाड़ी पन्तनगर ओर से लाइन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
- (ग) डाउन गाड़ी हल्द्वानी छोर से लाइन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
गूलरभोज छोर से डाउन गाड़ी लाइन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन
- (घ) डाउन गाड़ी हल्द्वानी छोर से लाइन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
अप गाड़ी का हल्दी छोर से लाइन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन
- (ङ) अप गाड़ी पन्तनगर छोर से लाइन सं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी काशीपुर छोर से लाइन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना कोई नहीं।

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्त:-

- (क) जिस लाइन पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख एवं अनुमुख कॉटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित हों तथा पैनल पर सैट एवं लाकड का इंडिकेशन उपलब्ध हो।
- (ग) जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है, वह अप गाड़ियों के लिए प्रस्थान सिगनल से 120 मीटर तक तथा डाउन गाड़ियों के प्रस्थान सिगनल तक साफ हो। अप गाड़ी लाइन सं० 4,5,6 पर तथा डाउन गाड़ी काशीपुर छोर से लाइन सं० 8 या 9 में लेने के लिये डैड एण्ड तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।
- (ङ) पन्तनगर से गाड़ी आगमन के लिये आगमन सिगनल आफ करने से पहले गेट सं० 43A/A एवं 44/Spl तथा हल्दी रोड से गाड़ी आगमन के लिये सिगनल आफ करने से पहले गेट संख्या 44/Spl सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित हो।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना:-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति निम्न प्रकार है :-
- (ख) अप गाड़ी हल्दीरोड से लाइन नं० 7 अथवा 8 अथवा 9 पर आगमन
और
अप गाड़ी पन्तनगर ओर से लाइन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
- (ग) डाउन गाड़ी हल्द्वानी छोर से लाइन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
गूलरभोज छोर से डाउन गाड़ी लाइन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन
- (घ) डाउन गाड़ी हल्द्वानी छोर से लादन नं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
अप गाड़ी का हल्दी छोर से लादन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन
- (ङ) अप गाड़ी पन्तनगर छोर से लाइन सं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी काशीपुर छोर से लाइन सं० 7 या 8 या 9 पर आगमन या हल्द्वानी छोर से डाउन गाड़ी का लाइन नं० 7 पर आगमन

(अतुल सिंह)

(आर०पी०मिश्रा)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

मसिदूई/नि/लखनऊ

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

- (च) डाउन गाड़ी का हल्द्वानी छोर से लाइन नं० 7 पर आगमन तथा अप गाड़ी का लाइन नं० 8 या 9 से गूलभोज की ओर प्रस्थान
- (छ) पन्तनगर अथवा हल्दी साइड से लाइन नं० 7 पर आगमन तथा अप गाड़ी का लाइन सं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से हल्द्वानी की ओर प्रस्थान
(सहायक नियम 5.01 (14) देखें)
- (छ) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

सभी अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 50/Spl पर कार्यरत गेटमैन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखने के पश्चात गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये तथा अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करें। डाउन गाड़ियों के पूर्ण आगमन के सम्बन्ध में तथा अप गाड़ी LV/TL के सन्दर्भ में अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गार्ड से इस उद्देश्य हेतु काँटावाला / सक्षम रेल मंचारी द्वारा भेजे गये ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर प्रपत्र टी/1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (i) सम्बन्ध अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकनलैस/टोकन/टैबलेट यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ii) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (iii) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (iv) सुनिश्चित करें कि **हल्द्वानी** को अप गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट सं० 44A/A, 45/सी, 46/स्पे०, 47/बी-1, 48/स्पेशल, **गूलभोज** को अप गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 1/बी तथा **हल्दी रोड** को डाउन गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 50/Spl और **पन्तनगर** को डाउन गाड़ी प्रस्थान हेतु गेट संख्या 50/Spl एवं 49A/A पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित कर दिया गया है
- (v) वॉछित मार्ग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सेट एवं पाशित करें तथा **हल्दी रोड** को जानें वाली गाड़ी के मामलों में गेट सं० 50/Spl को बन्द एवं लाक कराकर तथा **पन्तनगर** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट संख्या 49A/A एवं 50/Spl को बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन संख्या 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबायें जिससे गेट होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (च) डाउन गाड़ी का हल्लानी छोर से लाइन नं० 7 पर आगमन तथा अप गाड़ी का लाइन नं० 8 या 9 से गूलभोज की ओर प्रस्थान
- (छ) पन्तनगर अथवा हल्दी साइड से लाइन नं० 7 पर आगमन तथा अप गाड़ी का लाइन सं० 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 से हल्लानी की ओर प्रस्थान
(सहायक नियम 5.01 (14) देखें)
- (घ) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.6 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

रुकने वाली अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 44/Spl पर कार्यरत गेटमैन का उत्तरदायित्व होगा कि वह गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखने के पश्चात गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के साथ टेलीफोन पर बताये तथा अपनी लाग बुक में इसकी प्रविष्टि करें। डाउन गाड़ियों के पूर्ण आगमन के सम्बन्ध में तथा अप गाड़ी LV/TL के सन्दर्भ में अपूर्ण आने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गार्ड से इस उद्देश्य हेतु काँटावाला / सक्षम रेल मंचारी द्वारा भेजे गये ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर प्रपत्र टी/1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण रिकार्ड करायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लघान चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- सम्बन्ध अगले ब्लाक स्टेशन से विद्युत ब्लाक टोकनलैस/टोकन/टैबलेट यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- सुनिश्चित करें कि **हल्लवानी** को अप गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट संख्या 44A/सी, 45/सी, 46/सी, 47/बी, 48/सी, **गूलरभोज** को अप गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 1/बी तथा **हल्दी रोड** को डाउन गाड़ी के प्रस्थान के लिये गेट संख्या 44/Spl और **पन्तनगर** को डाउन गाड़ी प्रस्थान हेतु गेट संख्या 44/Spl एवं 43A/A पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित कर दिया गया है
- वॉछित मार्ग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सेट एवं पाशित करें तथा **हल्दी रोड** को जानें वाली गाड़ी के मामलें में गेट सं० 44/Spl को बन्द एवं लाक कराकर तथा **पन्तनगर** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट संख्या 43A/A एवं 44/Spl को बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन संख्या 552 एवं 551 को लाक स्थिति में दबायें जिससे गेट होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्यी सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

- (vi) पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल रिलील लाक में लगाकर घुमाएं ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये।
- (vii) जाने वाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (viii) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायेगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ix) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।
- (x) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सफेद / हरी लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'ऑफ' आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है तब हल्दी रोड, गूलरभोज तथा हल्दवानी साइड के चालको को प्रस्थान प्राधिकार सौंपे। तत्पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गार्ड को दी जायेगी। पन्तनगर साइड के लिए अन्तिम रोक सिगनल का आफ आस्पैक्ट प्रस्थान प्राधिकार होगा।
- (xi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है, वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (xii) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (xiii) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6(i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (घ) **हल्दी रोड** को जानें वाली गाड़ी के मामले में गेट सं० 50/Sp1 को बन्द एवं लाक कराकर तथा **पन्तनगर** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट संख्या 49A/A एवं 50/Sp1 को बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन संख्या 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबायें जिससे गेट होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा। **गूलरभोज** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट सं० 1/B तथा **हल्दवानी** को अप गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट संख्या 44A/A, 45/सी, 46/स्पेशल, 47/बी-1, 48/स्पेशल, पर कार्यरत गेटमैन को सूचित कर दिया गया हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखें।)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (vi) पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल रिलील लाक में लगाकर घुमाएं ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये।
- (vii) जाने वाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (viii) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायेगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ix) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तिया जल जायेगी।
- (x) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सफेद / हरी लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सैट होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'ऑफ' आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है तब हल्दी रोड, गूलरभोज तथा हल्दवानी साइड के चालको को प्रस्थान प्राधिकार सौंपे। तत्पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गार्ड को दी जायेगी।
- (xi) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है, वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (xii) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (xiii) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6(i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सैट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध हो।
- (घ) **हल्दी रोड** को जानें वाली गाड़ी के मामले में गेट सं० 44/Spl को बन्द एवं लाक कराकर तथा **पन्तनगर** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट संख्या 43A/A एवं 44/B को बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन संख्या 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबायें जिससे गेट होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखायी देगा। **गूलरभोज** को जाने वाली गाड़ी के मामले में गेट सं० 1/B तथा **हल्दवानी** को अप गाड़ी प्रस्थान के लिये गेट संख्या 44A/सी, 45/सी, 46/सी, 47/बी, 48/सी, पर कार्यरत गेटमैन को सूचित कर दिया गया हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T-409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

इस स्टेशन पर गाड़ियों को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति नहीं है।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के लोको पायलट को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सा० एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात्रि में लगातार जलायें जाये। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने के पूर्व स्टेशन मास्टर सा० एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन किया जाये।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा। गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) पन्तनगर की ओर टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को 'आफ' नहीं किया जा सकता है अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों 50/स्पेशल एवं 49ए/ए को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदन-प्रदान अवश्य ही किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

इस स्टेशन पर गाड़ियों को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति नहीं है।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के लोको पायलट को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सा० एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात्रि में लगातार जलायें जाये। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने के पूर्व स्टेशन मास्टर सा० एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक वर्णित कार्यविधि का अनुपालन किया जाये।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) पन्तनगर की ओर टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को 'आफ' नहीं किया जा सकता है अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदन-प्रदान अवश्य ही किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

7. लाइन अवरूध्द होना :- साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरूध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:- जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा कि सिक्योरिंग के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का एक्सचेन्ज करेगा।

2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।

3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यभार ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।

4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनों से अवरुद्ध की जाय तब स्टेशन पर खड़े वाहनों (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनों को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशों के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनों/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाय तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(i). सभी वाहनों के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रोक में वाहनों को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रोक खड़ा हो, तो हर रोक में वाहनों का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनों के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढ़तापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनों के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेंगे।

विशेषतः तूफानी मौसम में जब रोक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रोकों में रोलर बियरिंग लगे हुये हैं और वे समतल पर भी लुढ़क सकते हैं। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बों के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनों को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

टिप्पणी :

1. बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

2. **जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों बरती जाये :-**

- (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संघटन गति (Impact Speed) प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संघटन गति 2.4 किमी० प्रति घन्टा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. **शन्टिंग :** शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1 **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग:** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है:-
 - (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - (ii) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो।
 - (iii) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो।
 - (iv) चालक को शंटिंग अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर दी जाये।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग:-** निम्नलिखित शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है :-
 - (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो
 - (ii) सम्बन्धित सिगनल आन स्थिति में हों
 - (iii) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा,
 - (iv) चालक को शंटिंग आदेश देने के साथ-साथ टोकन / टैबलेट भी दिया जाय तथा पन्तनगर छोर पर शंटिंग के लिये शंटिंग चाबी दी जाय।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/53

लालकुआ

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कॉटो तक शंटिंग की अनुमति है।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कॉटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है।
 - (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - (ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो।
 - (iii) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो, तथा
 - (iv) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है:-

- (i) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (ii) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल होम तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर दी जाये।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

- I आने वाली गाडी के लिये सिगनल आफ किये जाने के बाद नान आईसोलेटेड लाइनों पर शंटिंग की अनुमति नहीं है।
सामान्य नियम 8.10(2) देखें।
- 2 केवल क्वेरी साइडिंग में /से लोड को रखने/उठाने के अतिरिक्त प्रत्येक मामले में शंटिंग संचालन ढलान के निम्न साइड से इंजन लगाकर संपन्न किया जायेगा।
- 3 कैच साइडिंग के आगे शंटिंग प्रतिबंधित है।

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -

- 1 शंटिंग के समय जब लोड इंजन से अलग करके परिचालित लाइन पर रखा हो तो लोड को नीचे लुढकने से रोकने के लिये इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
- 2 मेंन लाइन पर किसी भी गाडी / वाहन को चालू इंजन के बिना खडा नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो गाडी/वाहन के सिलेण्डर न गिराये जाये।

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

स्टेशन यार्ड से निकलने वाली सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल साइडिंग में प्लेसमेन्ट/विड्राल निम्न प्रकार किया जायेगा -

- (i) इस साइडिंग में जाने के लिये लाइन सं० 4, 5, व 6 से लोड पुशिंग प्लेस किया जा सकता है।
- (ii) प्लेसमेन्ट हेतु ट्रैप कॉटा संख्या 214X को पैनल से सैट एवं लाक करने के पश्चात सम्बंधित शन्ट सिगनल आफ करके ही शंटिंग मास्टर लोड को साइडिंग में प्लेस करने के लिये आगे बढ़ायें। इसी प्रकार साइडिंग से लोड वापस यार्ड में लाने के लिये इंजन को इसी प्रक्रिया से साइडिंग में लेकर जायें तथा लोड को साइडिंग से पुलिंग स्थिति में निकाल कर शन्ट सिगनल एस एच 96 पर इंजन को रोकें तथा इसके आफ होने पर यार्ड की लाइन संख्या 4, 5 व 6 किसी में भी लाया जा सकता है।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.2 आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कॉटो तक शंटिंग की अनुमति है।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कॉटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है।
- (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो।
- (iii) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो, तथा
- (iv) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।

8.3 जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है:-

- (i) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (ii) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल होम तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर दी जाये।

8.4.1 शंटिंग पर प्रतिबन्ध

- 1 आने वाली गाडी के लिये सिगनल आफ किये जाने के बाद शंटिंग की अनुमति नहीं है। सामान्य नियम 8.10(2) देखें।
- 2 केवल क्वेरी साइडिंग में /से लोड को रखने/उठाने के अतिरिक्त प्रत्येक मामले में शंटिंग संचालन ढलान के निम्न साइड से इंजन लागकर संपन्न किया जायेगा।
- 3 कैच साइडिंग के आगे शंटिंग प्रतिबंधित है।

8.4.2 शंटिंग का कोई विशेष पहलू -

- 1 शंटिंग के समय जब लोड इंजन से अलग करके परिचालित लाइन पर रखा हो तो लोड को नीचे लुढकने से रोकने के लिये इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
- 2 मेंन लाइन पर किसी भी गाडी / वाहन को चालू इंजन के बिना खडा नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो गाडी/वाहन के सिलेण्डर न गिराये जाये।

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

स्टेशन यार्ड से निकलने वाली सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल साइडिंग में प्लेसमेन्ट/विड्राल निम्न प्रकार किया जायेगा -

- (i) इस साइडिंग में जाने के लिये लाइन सं० 4, 5, व 6 से लोड पुशिंग प्लेस किया जा सकता है।
- (ii) प्लेसमेन्ट हेतु ट्रैप कॉटा संख्या 214X को पैनल से सैट एवं लाक करने के पश्चात सम्बन्धित शन्ट सिगनल आफ करके ही शंटिंग मास्टर लोड को साइडिंग में प्लेस करने के लिये आगे बढ़ायें। इसी प्रकार साइडिंग से लोड वापस यार्ड में लाने के लिये इंजन को इसी प्रक्रिया से साइडिंग में लेकर जायें तथा लोड को साइडिंग से पुलिंग स्थिति में निकाल कर शन्ट सिगनल एस एच 96 पर इंजन को रोकें तथा इसके आफ होने पर यार्ड की लाइन संख्या 4, 5 व 6 किसी में भी लाया जा सकता है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.6 बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि कोई हो -आई०ओ०सी०/ बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग की कार्य विधि

जब कभी आई०ओ०सी०/बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग में रोक को प्लेस/विदड़ा करना हो तो स्टेशन मास्टर लालकुआ निम्न कार्यवाही करेगा :-

1. इस सन्देश के साथ कि आई०ओ०सी० साइडिंग/ बैलास्ट/ सी०सी०आई० साइडिंग में कार्य किया जाना है, ब्लाक यन्त्र पर ब्लाक बैक करने से पूर्व **स्टेशन मास्टर हल्दवानी** से शंटिंग कार्य करने हेतु सन्देश का आदान-प्रदान करें तथा टी०एस०आर० में इसकी प्रविष्ट करेगा।
2. ब्लाक यन्त्र टी०जी०टी० स्थिति में हो जाने के बाद उसमें लगी 'जेड' चाबी रिलीज हो जायेगी। इस चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगी विद्युत लीवर लाक में लगाने से कॉटा संख्या 202 को पैनल से आपरेट करने के लिये मुक्त हो जायेगा। कॉटा संख्या 202 को पैनल से रिवर्स किया जायेगा।
4. ब्लाक यन्त्र से प्राप्त टोकेन को स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे टोकेन एक्सचेंजर में डाला जायेगा। ऐसा करने से टोकेन एक्सचेंजर से चाबी 'के' रिलीज होगी।
5. पैनल पर वाई०एन० जी०बी०एन० बटन दबाकर एवं टोकेन एक्सचेंजर से रिलीज 'के' चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे विद्युत लीवर लाक में लगाने से 'एल' चाबी रिलीज होगी।
6. इस 'एल' चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगी एक अन्य कं०टी० में लगाकर रिवर्स करके आई०ओ०सी० साइडिंग लोकेशन को ट्रॉसमिट कर दिया जायेगा। आई०ओ०सी० साइडिंग लोकेशन में लगी कं०टी० से 'एल' चाबी निकाली जा सकती है।
7. आई०ओ०सी० साइडिंग लोकेशन बाक्स से निकाली गयी 'एल' चाबी को आई० ओ० सी०साइडिंग कॉटा संख्या 503X के डबल एच०पी०के०लाक में लगाकर कॉटे को रिवर्स करके इसको सैट किया जायेगा तथा यहाँ से 'एस के-2' चाबी को निकाल लिया जायेगा। इस 'एसके-2' चाबी को कॉटा संख्या 503X के डबल एच०पी०के० लाक में लगाकर कॉटे को रिवर्स कर दिया जायेगा। ऐसा करने से यार्ड से आई०ओ०सी० साइडिंग के लिये मार्ग सैट एवं लाक हो जायेगा। कॉटा संख्या 503X के डबल एच०पी०के० लाक से निकाली गयी 'डब्लू' चाबी को साइडिंग लोकेशन के लीवर लाक में लगाकर स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगी डब्लू चाबी को एल०एन० एवं जी०बी०एन० बटन को पुश करके लाक कर दिया जायेगा जो कि शन्ट सिगनल को पैनल से आपरेट करने के लिये मुक्त करेगा।
8. आई०ओ०सी० / बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग में लोड पुशिंग में तथा बैलास्ट साइडिंग में दो लाइनों (लाइन संख्या 15 एवं 16) में प्लेस किया जायेगा।
9. सी०सी०आई० / बैलास्ट साइडिंगों में से एक समय में केवल एक ही साइडिंग में लोड का प्लेसमेंट दिया जा सकता है।
10. सी०सी०आई० साइडिंग में लोड प्लेस करने के लिये एक बार में केवल 10 वैगन ही यार्ड से पुशिंग लाये जायेंगे तथा इनको लाइन सं० 16 पर लाइन सं० 17 के दोनों ओर के फाउलिंग मार्क साफ करके रखने के बाद इंजिन को लाइन सं० 17 से लाइन सं० 20 में ले जाया जायेगा तथा लोड में ठोकर छोर पर जोड़कर लाइन सं० 18 अथवा 19 का मार्ग सैट एवं लाक करके लोड को पुश करके प्लेस किया जायेगा।
11. साइडिंग लोकेशन बाक्स के लाक की चाबी स्टेशन मास्टर लालकुआ की अभिरक्षा में रहेगी। साइडिंग में कार्य करने हेतु शंटिंग मास्टर को भेजने से पूर्व इस चाबी को शंटिंग मास्टर को सौंपना सुनिश्चित करे।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- 12 इसी प्रकार विपरीत क्रम में कार्य करके आई०ओ०सी० साइडिंग से यार्ड की ओर नार्मल सैटिंग की जा सकती है। जब कभी शंटिंग कार्य में इन साइडिंग में समय अधिक लगने की सम्भावना हो तो इंजन को साइडिंग के अन्दर बन्द करके 'एल' चाबी के०टी० के माध्यम से स्टेशन मास्टर लालकुआ को वापस ट्रॉसमिट की जा सकती है तथा सामान्य संचलन करने के पश्चात पुनः उपरोक्त वर्णित क्रमानुसार चाबी को शंटिंग स्टाफ को दिया जा सकता है।
- 13 आई०ओ०सी० / बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग के कॉटा सं० T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 एवं T-9, मैनुअली आपरेटेड नान-इन्टरलाक कॉटे है। इनकी सैटिंग एवं लाकिंग के लिये ट्रैफिक शंटिंग स्टाफ पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
14. आई०ओ०सी० एवं बैलास्ट साइडिंग में 400 में 1 का ढलान है। अतः इन्हे साइडिंग में प्लेसमेन्ट के पश्चात नियमानुसार सुरक्षित अवश्य किया जाये।
- 15 आई०ओ०सी० साइडिंग / बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग में शंटिंग कार्य मानक एयर प्रेशर के साथ ही जाये।
16. कॉटा सं० T-1 एवं बैलास्ट साइडिंग की दोनों लाइनों के फाउलिंग मार्क के मध्य 75 में 1 का ढलान है, अतः बैलास्ट / सी०सी०आई० साइडिंग में लोड रखने / निकालने के समय लागू समय सारिणी में दिये गये लोड प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किय जाय।

नोट :- 1. आई०ओ०सी० साइडिंग कन्ट्रोल चाबी 'एल' को लीवर लाक से निकाल लेने पर भी कॉटा सं० 203a-203b को रिवर्स स्थिति में रखकर हल्दी व पन्तनगर साइड से लाइन सं० 1 व 7, 8 एवं 9 पर आगमन तथा लाइन सं० 1, 2, 3, 7, 8 व 9 से हल्दी एवं पन्तनगर को प्रस्थान एवं काशीपुर छोर से / को गाड़ियों का आगमन / प्रस्थान लाइन सं० 7, 8 एवं 9 पर सिगनलों को आफ करके किया जा सकता है।
2. उपरोक्त मद संख्या 8.5 तथा 8.6 में वर्णित साइडिंगों में जब कभी लोड का प्लेसमेन्ट / विड्राल करना हो तो शंटिंग मास्टर, कार्यरत स्टेशन मास्टर / लालकुआ से शंटिंग आर्डर (T-806) प्राप्त करें तथा उसी के अनुसार कार्य करें। कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करने के लिये शंटिंग मास्टर पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन / कन्ट्रोल टेलीफोन / अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगनेध देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
 - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेनेधेने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टरधसस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लियाधदिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(ख) कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-

सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा 7 देखें

(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-

ट्रैक सर्किट के खराब होने पर कॉलिंग आन सिगनल आफ करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ का क्लीयरेंस जिससे गाड़ी को गुजरना है, का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्वयं करना होगा।

(घ). काँटों, ट्रैक सर्किट / एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 16 को देखें।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगनेध देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
- (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
- (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेनेधेने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टरधसस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
- (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लियाधदिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।

2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओ के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(ख) कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-

सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' का पैरा 7 देखें

(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-

ट्रैक सर्किट के खराब होने पर कॉलिंग आन सिगनल आफ करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ का क्लीयरेंस जिससे गाड़ी को गुजरना है, का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्वयं करना होगा।

(घ). काँटों, ट्रैक सर्किट / एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 16 को देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन या बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)

मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन / स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियाँ चल सकती हैं यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।
- जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टीधआई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजनधाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टीध 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4 विद्युत शक्ति की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (IPS) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई0पी0एस0 की मानिट्रिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई0पी0एस0 प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है।
- (ख) आडियो विजुअल आई0पी0एस0 प्रकाशित बोर्ड पर प्रकाशित सूचनाओं का विवरण तथा आई0पी0एस0 की विफलता के दौरान अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली का विवरण परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में दिया गया है।

प्रारूप

1 व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल की खपत	तेल कुल	शेष तेल	डीजल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	-------------	---------	---------	------	---------

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(आर०पी०मिश्रा)
मसिदूई/नि/लखनऊ

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **हल्दी रोड साइड :** दिन एवं रात में बडी लाइन संख्या-1 के प्रस्थान सिगनल संख्या एस 19 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
पन्तनगर साइड : दिन एवं रात में लाइन संख्या-7 के प्रस्थान सिगनल संख्या एस 31 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
- (ख) **हल्दवानी साइड :** दिन एवं रात में लाइन संख्या-1 के प्रस्थान सिगनल संख्या एस 70 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
- (ग) **गूलरभोज साइड :** दिन एवं रात में लाइन संख्या-7 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस 80 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर 180 मीटर की दूरी से दिखाई देता हो।
 (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग"	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ"	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ड"	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च"	डी0के0स्टेशन,हाल्ट, आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ"	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह) (आर०पी०मिश्रा) (के०एस०सोनाल)
 मण्डल सिग०एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर मसिदूई/नि/लखनऊ मण्डल परि० प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य**

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।

(घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख काँटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

- i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :-जब कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटकवाला के कर्तव्य

संचालन नियम के साथ संलग्न सम्बन्धित गेट अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत शंटिंग मास्टर / जमादार के कर्तव्य

- (i) स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार सभी शंटिंग संचालनों को सम्पन्न कराना
- (ii) कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- (iii) शंटिंग के दौरान लोको पायलट को हैण्ड सिगनल दिखाना
- (iv) वैगनों / वाहनों को कटवाना / जुड़वाना
- (v) वैगनों / वाहनों की ठीक-ठीक मार्शलिंग करना

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/53

लालकुआ

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 10 बैट्री आपरेटेड
- 04 के०आयल (Gate 50/Spl & 49A/A) |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 06 हरी तथा 9 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 20 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 20 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र | - 02 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 25 |

(जे०ए०आज़मी)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती - 10 बैट्री आपरेटेड
- 04 के०आयल (Gate 44/Spl & 43A/A)
2. हाथ सिगनल झण्डी - 06 हरी तथा 9 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 20 तालो सहित
5. क्लैम्प - 20 तालो सहित
6. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 01
7. फायर बकेट - 06
8. अग्निशामक यन्त्र - 02
9. लकड़ी के गुटके - 25

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर